न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1,जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : **विनोद कुमार गुप्ता–II (आर.जे.एस.)**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं. : 287/26

हनुमान प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल, उम्र–31 साल, निवासी बिलौता, पुलिस थाना अलीगढ़, जिला टोंक। हाल निलम्बित कनिष्ठ सहायक, भू प्रबन्ध अधिकारी विभाग, मुख्य ऑफिस अग्रेसन सर्किल के पास, भीलवाड़ा (राज.)।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक। **––अप्रार्थी**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं., प्र.सू.रि.सं. 10/24 पुलिस थाना एस.ओ.जी., जयपुर धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109 सपठित धारा 34, 120बी भा. द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट,

उपस्थित :–

1. श्री विजेन्द्र यादव, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्रीमती साजिया खान, योग्य अपर लोक अभियोजक, राज्य।

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 04–06–2026**

1 इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस का निस्तारण किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 540/2020 में अनुसंधान के दौरान पाया गया कि राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो पूरे राजस्थान में दिनांक 13.09.2021 से 15.09.2021 तक आयोजित की गई, जिसमें जगदीश विश्नोई, यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी व शिवरतन मोट ने स्कूल रविन्द्र बाल भारती के केन्द्राधीक्षक राजेश खण्डेलवाल के साथ मिलकर इस परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लीक करने का आपराधिक षडयंत्र रचा और राजेश खण्डेलवाल ने परीक्षा सम्पादित करने के नाम पर रिकॉर्ड पर यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी की ड्यूटी लगाई। दिनांक 14.09.2021 व 15.09.2021 को योजना के मुताबिक यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी प्रश्नपत्रों के केन्द्र पर प्राप्ति से पूर्व आचार्य ऑफिस में घुसकर छोटी कोटड़ी में छुप गया। प्रश्नपत्रों को आचार्य ऑफिस में रखे जाकर कमरे को सील करने के पश्चात यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी ने पैकेट में चीरा लगाकर पेपर निकालकर

मोबाईल फोन से उसकी फोटो ली तथा पेपर को वापिस पैकेट में रखकर टेप से पैक कर दिया। तत्पश्चात यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी ने जरिये व्हाट्सअप जगदीश विश्नोई के पास उसके मोबाईल फोन पर भेज दिया और जगदीश विश्नोई ने यूनीक भाम्बु उर्फ पंकज चौधरी के मार्फत राजेश खण्डेलवाल को दस लाख रूपये दिये। जगदीश विश्नोई ने प्रश्नपत्र को हल करने के पश्चात सॉल्वड पेपर को राजस्थान के विभिन्न भागों में मौजूद अपने साइट हैण्डलर्स के व्हाट्सअप के मास्टर ग्रुप पर एक साथ भेज दिया और परीक्षार्थियों को साइट हैण्डलर्स द्वारा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के नजदीक सॉल्वड पेपर को दिनांक 14.09.2021 व 15.09.2021 को पढ़ाया गया और साइट हैण्डलर्स द्वारा परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ाने के पश्चात परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाया गया। इनके द्वारा पढ़ाये गये अभ्यर्थी 01. नरेश विश्नोई, 02. नारंगी कुमारी विश्नोई, 03. राजेश्वरी, 04. गोपीराम जांगू, 05. श्रवण कुमार विश्नोई, 06. मनोहर विश्नोई, 07. सुरेन्द्र विश्नोई, 08. करणपाल गोदारा, 09. विवेक भाम्बु, 10. एकता कुमारी, 11. रोहिताश्व कुमार व अन्य दर्जनों उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षकगणों में से दर्जनों उप निरीक्षकगण Cheating by impersonation से सफल होने की जानकारी सामने आयी है। इत्यादि.....

3 उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 10/2024 धारा 419, 420, 120बी भा.द.सं. व 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का प्रयोग) अधिनियम 1992 व 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपार्ट में नामजद नहीं है और उसे सह अभियुक्त के कहने पर आरोपी बनाया गया है तथा प्रार्थी के विरूद्ध कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी दिनांक 23–06–24 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी के मान. राज. उच्च न्यायालय से दो बार पूर्व में जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति अपील प्रस्तुत करने पर मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि विचारण में कोई अत्यधिक कार्यवाही नहीं होती है तो 6 माह पश्चात् विचारण न्यायलाय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत करने का स्वतन्त्र होंगे और यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व में विचारण न्यायलाय एवं मान. उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी की जमानत का खारिज करते हुए निर्णय किसी प्रकार

से प्रार्थी के इस जमानत प्रार्थना–पत्र के रास्ते में कोई रोक उत्पन्न नहीं करेंगे। और प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् कोई अत्यधिक कार्यवाही नहीं हुई है और आरोप विरचित नहीं किये गये हैं। विचारण में समय लगने की सम्भावना है प्रार्थी ने कोई डमी केन्डीटेड उपलब्ध नहीं करवाया तथा उससे कोई रुपयों की बरामदगी नहीं हुई है। अन्य अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

5 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

6 सुना गया। पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

7 प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं :–

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट	पुलिस थाना
1	40/16 13.01.16	365, 392 भा.दं.सं.	383/16 30.09.16	सांगानेर जयपुर
2.	42/17 17.04.17	341, 323/34 भा.दं.सं.	41/17 26.04.17	अलीगढ टोंक
3	445/18 01.08.18	341, 323 भा.दं.सं.	286/18 21.12.18	बजाज नगर
4.	125/21 30.10.21	419, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. धारा 3/4 परीक्षा अधिनियम	129/21 24.12.21	कोतवाली, कोटा
5.	348/21 23.10.21	419, 467, 468, 120बी भा.दं.सं. 3/4, 6 परीक्षा अधिनियम	272/21 10.12.21	आरकेपुरम कोटा
6.	60/24	419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. 3, 4 राज. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम	28/24 13.12.2024	एसओजी, जयपुर

8 प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध, उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में अन्य अभियुक्त अभ्यर्थी चेतन सिंह मीणा से 15 लाख रुपये में सौदा कर अभियुक्त चेतन सिंह के स्थान पर अन्य आरोपी सुरेश कुमार विश्नोई को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दिलवाये जाने का धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109 सपठित धारा 34, 120बी भा.द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66 डी आईटी एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

9 प्रार्थी ने मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी काफी समय से अभिरक्षा में होना तथा उसके विरूद्ध कोई सीधी साक्ष्य नहीं है और प्रकरण में विचारण शुरू नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार यह प्रकरण राज. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में दर्ज हुआ था, जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है और प्रकरण में आरोप–पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत होने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा

धारा 450 भा.द.सं. में आरोप के बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने पर, यह प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 28–01–2026 को कमिट होकर प्राप्त हुआ है। प्रकरण में मुलजिमान की संख्या लगभग 139 है और पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा लगभग 46 मुलजिमान की बहस चार्ज सुनी जा चुकी थी। किन्तु पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है एवं पत्रावली बहस चार्ज हेतु पुनः नियत की गई है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही चेतन सिंह के उपस्थिति पत्रक एवं ओएमआर शीट पर किये गये हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में भिन्नता पाई गई है और डमी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिया जाना अनुसंधान से पाया गया है। पूर्व में अन्य अभियुक्तगण के जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा खारिज किये गये हैं, जिनसे प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में परीक्षा अधिनियम के अपराध के सम्बन्ध में अन्य प्रकरण भी दर्ज हुए हैं।

10 प्रकरण में अभियुक्त द्वारा रुपयों के बदले मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाकर, अयोग्य व्यक्ति का पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयन होने के गम्भीर अपराध तथा सरकार, परीक्षा एजेन्सी व मेहनती अभ्यर्थियों के साथ की गई धोखाधड़ी को देखते हुए व प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

11 निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त हनुमान प्रसाद पुत्र ग्यारसी लाल की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 द.प्र.सं.) के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विनोद कुमार गुप्ता–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय

12 आदेश आज दिनांक 04–06–2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विनोद कुमार गुप्ता–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय